



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- ५४०/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

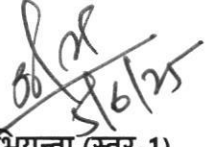
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री मधुर गौरव, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (छ)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री मधुर गौरव, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 8- श्री मधुर गौरव, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- ५७६ /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: ०५ जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

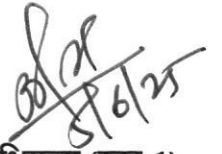
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्रीमती सीमा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (छ)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्रीमती सीमा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 8- श्रीमती सीमा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

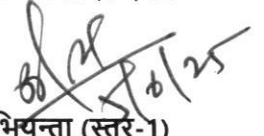
पत्रांक:- ५४२/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: ०५ जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

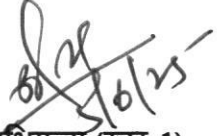
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री शाहनवाज अन्सारी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम)** में **शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री शाहनवाज अन्सारी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।


**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर/चम्पावत।
- 5- जिलाधिकारी, बागेश्वर/चम्पावत।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर/चम्पावत।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/चम्पावत।
- 8- श्री शाहनवाज अन्सारी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



उत्तराखण्ड राज्य

website: www.res.uk.gov.in

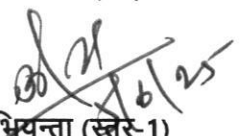
पत्रांक:- 492/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

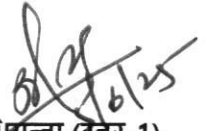
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री कुन्दन सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम)** में **शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री कुन्दन सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत/बागेश्वर।
- 5- जिलाधिकारी, चम्पावत/बागेश्वर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत/बागेश्वर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/बागेश्वर।
- 8- श्री कुन्दन सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।